



संख्या : 2721-अधि०प्रब०-03/पाकालि/11-3(4)ई०एम०-03/विविध/09 दिनांक : 24 अगस्त, 11

1. प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०,
वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा।
2. प्रबन्ध निदेशक, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी, कानपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।

विषय :- कार्मिकों द्वारा प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से चल/अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।

महोदय

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-96-विनियम एवं औस/पाकालि/10-6-विनियम/98, दिनांक-20.08.2010 द्वारा उ०प्र० सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 (कारपोरेशन द्वारा अंगीकृत) के आंशिक संशोधन में यह प्राविधान किया गया है कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, तथा विद्युत वितरण निगमों के अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपनी (पति/पत्नी या नाबालिग बच्चों के नाम दर्ज सम्पत्ति सम्मिलित करते हुए) चल/अचल सम्पत्ति, उसके प्राप्त होने की तिथि, उसका माध्यम, अनुमानित लागत, आय का स्रोत आदि का विवरण अपनी प्रथम नियुक्ति एवं उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष (01, जनवरी से 30, जनवरी के बीच) अपने नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। परन्तु कारपोरेशन स्तर पर परिलक्षित किया गया है कि उक्त सम्पत्ति विवरण अधिकांश अधिकारियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

इस संबंध में निर्देश दिये जाते हैं कि अपने नियंत्रणाधीन सभी कार्मिकों को कड़े निर्देश दे दें कि वे प्रत्येक दशा में अपनी चल/अचल सम्पत्ति संबंधी विवरण पत्र विलम्बतम् 30 सितम्बर, 2011 तक कारपोरेशन मुख्यालय में उपलब्ध करा दें अन्यथा उनके विरुद्ध उ०प्र० सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 (3) के प्राविधानों के उल्लंघन करने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जायेगी जिसके वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। चल/अचल परिसम्पत्ति विवरण पत्र का प्रारूप उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के वेबसाइट से डाउन लोड किया जा सकता है। उपर्युक्त अधिकारीगण अपने अधीनस्थ कार्मिकों जिनका अधिष्ठान स्वयं उनके स्तर पर सम्पादित किया जा रहा हो का अनुश्रवण कड़ाई से सुनिश्चित करेंगे।

(नवनीत सहगल)

अध्यक्ष सह प्रबन्धनिदेशक

संख्या- 2721-(1) अधि०प्रब०-03/पाकालि/11 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्सम कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (वितरण)/निदेशक (लेखा)/निदेशक (वाणिज्यिक), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-I) (स्तर-II), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
3. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग लखनऊ/निदेशक विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
6. समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, कमरा नं - 407, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(सकेश पुष्कर)
अपर सचिव

24/8/2011